बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-91/2024-..................श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-393/सी० दिनांक-05.02.2024 से प्राप्त पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न ऑडियों क्लिप में 3000/- रू० प्रति केन्द्रवार वसूली के संबंध में लेनदेन की वार्ता होने, संयुक्त जॉच दल के समक्ष ऑडियों क्लिप में रक्षित आवाज को अपनी आवाज होने की स्वीकारोक्ति किये जाने, ऑडियों क्लिप की वार्ता को ऑफिसियल बात बताये जाने, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार को दिये गये लिखित बयान में सभी महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक केन्द्र से भाउचर की राशि की वसूली करने हेतु बोले जाने का उल्लेख होने, गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, निजी स्वार्थवश पद का दुरूपयोग करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया। इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-732/प्रो0 दिनांक-20.06.2022 के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम में घोर अनियमितता, राशि की वसूली, फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी करने, आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर करने, एक ही विपत्र दो बार पारित करने, टी०एच०आर० वितरण का निरीक्षण नहीं करने, लाभार्थियों की संख्या का सत्यापन किये बिना आंगनबाडी केन्द्रों को मनमानी राशि उपलब्ध कराने, स्थायी दलालों के माध्यम से पोषाहार का भाउचर इक्कठा करने एवं उस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अनुमोदन हेतु जबरन दवाब देने, राशि का विचलन कर जनवरी एवं फरवरी 2022 की तुलना में मार्च एवं अप्रैल में लगभग डेढ़ गुणा अधिक राशि बिना किसी उचित कारण के देने जिसके कारण परियोजना में पोषाहार का वितरण नहीं हो सकने, रिश्वत के रूप में अवैध राशि की मॉग करने, वितीय मामलों में खाली चेक पर हस्ताक्षर करने, वितीय मामलों में लापरवाह एवं उदासीन रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने आदि जैसे आरोप प्रतिवेदित है। जिसके लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-6858 दिनांक-24.12.2024 द्वारा निलंबित भी किया गया है।

उक्त के आलोक में दो आरोप पत्र गठित करते हुए अनुमोदित आरोप पत्र पर श्रीमती अनिता कुमारी से विभागीय पत्रांक-4075 दिनांक-29.08.2024 एवं पत्रांक-4119 दिनांक-02.09.2024 द्वारा लिखित अभिकथन की मॉग की गई। आरोपित पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-389 दिनांक-12.09.2024 द्वारा एक आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया तथा दूसरे आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन अबतक अप्राप्त है। प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अत: उपर्युक्त के आलोक मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्रीमती कुमारी के विरूद्ध उक्त आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री हरिशंकर राम, उप सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती मीशा रंजीत कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्रीमती कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती कुमारी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित अभिकथन संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन) सहित श्री हरिशंकर राम, उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- सं0सं0-स0क0निग0-91/2024- पटना-15 दिनांक :-

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री हरिशंकर राम, उप सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्रीमती मीशा रंजीत कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-91/2024- 4916 पटना-15 दिनांक :- 23-6-2025

निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/पूर्णियॉ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।